Period	ICMR, New Delhi	CDRI, Lucknow	ISM Research
1985 to 1990 (7th Plan)	3950.00	219.00	60.90
1990-91	588.00	49.00	15.36
1991-92 (Outlay)	700.00	60.00	25.00
Total : .	5238.00	328.00	101.26

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय में "ग" तथा "घ" वर्ग के पदों का आरक्षण

232. **श्री अजीत जोगी :**
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वास्थ्य सेवा निदेशालय के अन्तर्गत भारतीय एवं आधुनिक चिकित्सा पद्धतियों के फार्मास्यूटिकल कर्मचारियों सहित वर्ग "ग" और "घ" पदों पर भर्ती और पदोन्नति के सम्बन्ध में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए पदों के आरक्षण के मामले में सरकार के निर्देशों का पालन किया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है तथा पिछले दो वर्षों के दौरान कितनी पदोन्नतियां की गई हैं ?;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में कोई पिछला बकाया है ; और

(घ) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं तथा पिछले बकाये को समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का विचार है ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा-देवी सिद्धार्थ) : (क) जी, हां ।

(ख) पिछले दो वर्षों के दौरान केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अनुसूचित जाति के 97 व्यक्तियों और अनुसूचित जनजाति के 25 व्यक्तियों की क्रमश: समूह "ग" और "घ" पदों पर भर्ती किया गया जबकि अनुसूचित जाति के 32 व्यक्तियों और अनुसूचित जनजाति के 15 व्यक्तिओं को समूह "ग" और "घ" पदों पर पदोन्नत किया गया ।

(ग) केन्द्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित समूह "ग" को 42 रिक्तियां तथा समूह "घ" की 6 रिक्तियां पहले से ही खाली चली आ रही हैं ।

(घ) रिक्तियों को न भरे जाने का मुख्य कारण उपयुक्त उम्मीदवारों का न मिलना है । कर्मचारी चयन आयोग, रोजगार कार्यालय आदि जैसी सम्बन्धित एजेंसियों को उपयुक्त उम्मीदवार भेजने के-लिए लगातार कहा जा रहा है । उप युक्त उम्मीदवारों के लिए विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय के माध्यम

से स्थानीय समाचार पत्रों में विज्ञापन भी दिए जाते हैं।

एलोपेथी आयुर्वेदिक तथा होम्योपथिक चिकित्सा पद्धतियों के पंजीकृत चिकित्सक

233. श्री अजीत जोगी :
कुमारी सुशीला तिरिया :

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1989, 1990 तथा 1991 के अंत में एलोपैथी, आयुर्वेद तथा होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति के पंजीकृत चिकित्सकों की अलग-अलग संख्या (स्नातक तथा लाइसेंसधारी) कितनी थी ;

(ख) उपर्युक्त अवधि के दौरान सरकारी अस्पतालों तथा डिस्पेंसरियों की संख्या कितनी थी ;

(ग) उपर्युक्त अवधि के दौरान उपलब्ध कुल बिस्तरों की संख्या कितनी थी तथा प्रति एक लाख जनसंख्या को उपलब्ध बिस्तरों का अनुपात कितना था ;

(घ) शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कुल डाक्टरों, अस्पतालों / औषधालयों तथा बिस्तरों का प्रतिशत क्या है ; और

(ङ) ईसवीं सन् 2000 तक कितने डाक्टरों, अस्पतालों, औषधालयों तथा बिस्तरों की आवश्यकता होगी ?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी० के० तारा-देवी सिद्धार्थ) :

	1-1-1989 को स्थिति	1-1-90 को स्थिति
(क) पंजीकृत चिकित्सकों की संख्या		
(i) एलोपैथी		
—स्नातक	3,,3,758	3,46,714
—लाइसेंसधारी	37,000	37,000
(ii) आयुर्वेद		
—संस्थागत अर्हता प्राप्त	1,94,589	2,16,256*
—गर-संस्थागत अर्हता प्राप्त	1,00,652	1,00,926*
(iii) होम्योपैथी		
—सस्थागत अर्हता प्राप्त	67,485	68,103*
—गैर-संस्थागत अर्हता प्राप्त	81,381	79,976*
		*आंकड़े अनंतिम
(ख) सरकारी अस्पताल और औषधालय की संख्या		
(i) अस्पताल	4,504	4,52
(ii) औषधालय	13,531	12,639*
	*(सूचना अधूरी है क्योंकि कुछ राज्य सरकारों ने अद्यतन आंकड़े नहीं भेजे हैं)	
(ग) उपलब्ध पलंग की संख्या तथा प्रति लाख आबादी पर पलंग की आवश्यकता		
(i) पलंगों की कुल संख्या (सरकारी और प्राइवेट दोनों अस्पताल)	5,98,059	6,02,490